रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 1976/आषाढ़ 18, 1898
No. 313] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 1976/ASADHA 18, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July 1976

S.O. 468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby authorises the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi to sanction the making of complaints in relation to offences under Section 10 of the said Act.

[No. S-42025/11/76-WC]

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1976

का० आ० 468(अ).—समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली को उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अपराधों के संबंध में शिकायतें करने की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या एस 42025/11/76—डब्ल्यु सी०]

टी० एस० शंकरन, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976